श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास, तारादेवी, तहसील व जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.1.2015 से 31.12.15

भाग—एक

1 **प्रारम्भिकः—**

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) ग (2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा (ए) 3–3/85 पार्ट–II, दिनांक 17.1.89 के दृष्टिगत, श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास तारादेवी, जिला शिमला के अवधि 1.2015 से 31.12.2015 के लेखों का अंकेक्षण इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न अध्यक्ष व सचिव मन्दिर न्यास में कार्यरत्त रहेः—

अध्यक्ष

क्रमांक	अध्यक्ष का नाम	अवधि
1	श्री ज्ञान सिंह नेगी (हि0प्र0प्र0से0)	1.1.15 से 31.12.15

सचिव

1	श्री मनजीत शर्मा (तहसीलदार)	1.1.15 से 31.12.15

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

क्र0सं0	पैरा सं0	संक्षिप्त विवरण	राशि (लाखों में)
1	5 (ख)	सावधि निवेश की राशि पर बैंकों द्वारा परिपक्व पर कम भुगतान करना	1.79
2	11.2	बिना सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये निर्माण कार्य में अतिरिक्त मदों का निष्पादन करवाना	2.19
3	11.5	बिना वैधानिक कटौती (आय कर, सैल्स टैक्स, श्रम उपकर, प्रतिभूति के कटौती) के बिल का भुगतान करना	2.09

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अंकेक्षण पैरों के निपटारे हेतु की गई कार्यवाही का अवलोकन करने पर पाया गया कि अधिकांश अंकेक्षण आपत्तियों के निपटारे हेतु संस्था द्वारा गम्भीरता से कार्यवाही नहीं की गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि दीर्घकाल से लम्बित अंकेक्षण आपत्तियों के निपटारे हेत ठोस प्रयास किए जाएं। यह प्रकरण आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु उच्चधिकारियों के ध्यानार्थ भी लाया जाता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों की वर्तमान स्थिति **परिशिष्ट "क"** में दी गई है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास, तारादेवी, जिला शिमला के अवधि 1.1.2015 से 31.12.2015 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, श्री अनिल कुमार, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 18.8.16 से 3.9.16 के दौरान मन्दिर परिसर संकट मोचन तारादेवी मन्दिर शिमला में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिये 4/2015 तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 7/2015 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। मन्दिर न्यास द्वारा कोई सूचना उपलब्ध न करवाने अथवा गलत सूचना उपलब्ध करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास के अवधि 1.1.2015 से 31.12.2015 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹13000 आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को बैंकर चैक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को भेजने हेतु सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा अधियाचना संख्या–आडिट 2016–17 दिनांक 3.9.16 द्वारा मन्दिर अधिकारी को अंकेक्षण शुल्क की राशि प्रेषित करने का अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) मन्दिर न्यास द्वारा रोकड़ बही के अनुसार अवधि 1.1.2015 से 31.12.2015 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर दिया गया हैः–

वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त आय	ब्याज	कुल	व्यय	अन्तिम शेष
2015	13292093.65	5959246.45	427648.03	19678988.13	8566587.58	11112398.55

बचत खातों बैंक तथा सावधि योजना में निवेशित राशि तथा हस्तगत राशि के आधार पर 31.12.15 को बकाया ₹11163501.30 जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रमांक	बैंकों का नाम एवं खाता सं0	राशि
1	Vijay Bank Shimla 770101010002025	407335.00
2	Indusind Bank 100009262161	4333714.18
3	HDFC Bank 03461450000196	149106.71
4	SBI Shogi Shimla 32261400877	460000.75
5	Union Bank of India, Shimla	2922.46

6	Uco Bank Shimla	3512.06
7	Bank ofBaroda Shimla	1810.14
8	FDR"s	
	Vijaya Bank The Mall Shimla 770103311002660	5000000
9	Yes Bank 009194600000206	800000
10	Cash in hand	5100
		11163501.30

(ख) रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष तथा बैंक के खातों के अनुसार अन्तशेष में जो अन्तर है इसकी बैंक समाधान विवरणी निम्न प्रकार से है:–

रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.12.15 को अन्तशेष			1111112398.55
जमाः– निम्नलिखित चैक जिन्हें भुगतान के लिए जारी किया गया, परन्तु 31.12.15 तक बैंक खातों से भुगतान नहीं हुआ			
चैक सं0	दिनांक	राशि	
134031	31.10.15	5900	
133959	3.3.15	10000	
567770	14.12.15	12150	
567774	22.12.15	15000	
		43050	43050
			11155448.55
जमाः– वे राशियाँ जो बैंक में सीधे जमा हुई परन्तु रोकड़ बही में इनकी प्रविष्टि जनवरी, 2016 में की गई			
HDFC Bank Sanjauli A/c No. 3461450000196			2352
			11157800.55
घटाव			
₹5100 का चैक संख्या 197079 दिनांक 23.12.15 जो बैंक खाता संख्या 770101010002025 में जनवरी, 16 में जमा हुआ			(–) 5100
			11152700.55
जमाः–			
विजय बैंक में निम्नलिखित राशियों को नगद के रूप में जमा करना और चैकों द्वारा भी जमा करना			

उक्त रोकड़ में दर्शाई राशियों में निम्नलिखित राशियों के चैक प्राप्त हुये थे जिन्हें दिनांक 8.10.15 तथा 2.11.15 को फिर पुनः से जमा दर्शाया जिसके फलस्वरूप बैंक में ₹10800 अधिक जमा की

रसीद सं0/दिनांक	जिनसे प्राप्त किया ब्यौरा	चैक सं0/दिनांक	जिस बैंक का चैक प्राप्त हुआ	
16392/30.9.15	HPMC Nigamvihar (shop rent for the Augst month Sep, 15	948881/29.9.15	HP State coop Bank	4800

16620／30.10.15	All India Arya Hindu Dhara, Sewa Sangh (Donation)	796640／20.10.15	SBI Kamla Nagar	1800
16618／28.10.15	HPMC Nigam Vihar (Rent Sept, oct, 15	948911／28.12.15	HP State co-op Bank	4800
			Total	(+)11400
				11644100.55

Less

दिनांक 31.10.15 को रोकड़ बही में ₹20201 प्राप्त दर्शाई जबकि बैंक ₹19601 जमा की जिसके फलस्वरूप ₹600 विजय बैंक में कम जमा किये गये (पैरा 6 (2) में दर्शित)	(–) 600
	11163500.55
जमाः–	
रोकड़ बही में ₹0.75 पै0 को कम लेना	0.75
बैंक के अनुसार बकाया	₹11163501.30

बैंक समाधान विवरणिका में दर्शाये गए जारी चैक में जिन चैकों को जारी किये 6 महीने से अधिक का समय हो चुका है और फर्म द्वारा उन चैकों का भुगतान बैंक से नहीं लिया उन चैकों की राशि को मन्दिर ट्रस्ट से आय की तरफ लेकर उनका समाधान सुनिश्चित करके और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5 सावधि योजनाः–

(क) श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास तारादेवी द्वारा अवधि 1.1.15 से 31.12.15 के दौरान समय–2 पर जिन राशियों को बैंकों में सावधि योजना के अन्तर्गत जमा की गई है, उनका विवरण **परिशिष्ट "ग"** में संलग्न है। अतः सावधि योजना में निवेशित राशियों को तय अवधि पर परिपक्व होने पर ब्याज को रोकड़ बही में लेना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) सावधि में निवेश राशियों को परिपक्व पर ₹1.79 लाख की कम प्राप्तिः–

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास, तारादेवी, शिमला ने अवधि 2015 में विजया बैंक शिमला में ₹5000000 का निवेश किया था जिसकी परिपक्व तिथि 16.3.16 थी। इन निवेश की राशियों के ब्याज की जाँच करने पर पाया कि विजया बैंक दी माल शिमला ने दिनांक 16.3.16 (परिपक्व तिथि) को ₹5929294／– जमा किये जबकि परिपक्वता ₹6079344.25 बनती थी इस प्रकार ट्रस्ट को ब्याज के रूप में ₹150050.25 कम प्राप्त हुये।

(ii) इसी प्रकार Indusind Bank, The Mall Shimla में सावधि में निवेश ₹3000000／– को परिपक्व तिथि 20.12.15 को बैंक द्वारा बैंक खाता सं0 100009262161 में ₹3250464.38 जमा किये

जबकि इस सावधि निवेश की राशि की परिपक्वता ₹3279249.64 बनती थी जिसके फलस्वरूप बैंक ने मन्दिर ट्रस्ट के खाते में ₹28785.26 कम ब्याज के रूप में जमा किये जिनका विवरण **परिशिष्ट "घ"** पर संलग्न है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण द्वारा दिनांक 31.8.16 को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1 द्वारा मन्दिर न्यास को सूचित किया गया और इस प्रकरण को बैंक से उठाकर ₹178835.51 जो ब्याज के रूप में कम प्राप्त की, की वसूली/प्राप्ति बैंक से करके न्यास निधि में जमा की जाये तथा कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

6 सोना एवं चाँदीः–

(क) अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान मन्दिर न्यास द्वारा निम्न विवरणानुसार सोने/चाँदी की प्राप्ति की गईः–

क्र0सं0	**रसीद सं0/दिनांक**	**विवरण**	**सोना (ग्राम में)**		**चाँदी (ग्राम में)**	
			ग्रा0	**मि0ग्रा0**	**ग्रा0**	**मि0ग्रा0**
1	038/7.2.15	चाँदी का गद्दा	–	–	017	350
2	039/22.9.15	चाँदी का मुक्ट	–	–	248	910
3	040/23.10.15	चाँदी का कड़ा	–	–	073	560
4	041/9.11.15	चाँदी की चैन	–	–	033	900
5	15424/16.6.15 (पैरा 6 "ग" में वर्णित)	चाँदी की छोटी गद्दा	–	–	017	500
			–	**–**	**39**	**220**

(ख) अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान सोने एवं चाँदी की स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "घ"** में भी दिया गया हैः–

ब्यौरा	**सोना**			**चाँदी**		
	कि0	**ग्रा0**	**मि0ग्रा0**	**कि0**	**ग्रा0**	**मि0ग्रा0**
प्रारम्भिक शेष	0	101	410	11	188	080
वर्ष के दौरान प्राप्ति	0	0	0	0	391	220
31.12.15 तक कुल	0	101	410	11	579	300

अतः परामर्श दिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं पूर्व विन्यास संशोधन) अधिनियम 290 की धारा 12–ए (2)–ए में वर्णित स्कीमों के अनुसार धार्मिक संस्था से प्राप्त होने वाले सोने तथा चाँदी की यात्रा के अन्तशेष को रखा जाए।

(ग) स्टॉक रजिस्टर में रसीद संख्या 15424 दिनांक 16.6.14 को 17 ग्राम 500 मि0ग्राम की चाँदी की छोटी गद्दा की प्रविष्टि 18.6.15 को गई जिसकी पुष्टि कर उसे स्टॉक में लिया गया है जब

सोने एवं चाँदी की एक ही रसीद बुक रखी गई है तो अन्य रसीद बुक जारी कर चाँदी आदि अन्य धातुओं को प्राप्त किया जाना आपत्तिजनक है क्योंकि अन्य रसीदों द्वारा प्राप्त अन्य बहु मूल्य धातुओं के दुरूपयोग की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता। अतः न्यास जिस रसीद बुक से रसीद जारी कर सोना चाँदी तथा अन्य धातुओं को प्राप्त कर रही है उससे प्राप्त करें ताकि हर एक की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में सुनिश्चित की जा सके। न्यास अपने माध्यम से भी यह सुनिश्चित करें कि अन्य किसी रसीद बुक से रसीद जारी कर सोना चाँदी प्राप्त तो नहीं किया जिसकी प्रविष्टि स्टॉक में रह गई हो जिसका प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7 आयः—

(1) रसीदों से प्राप्त होने वाली आय को देरी से मन्दिर न्यास में जमा करने बारेः—

श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास के लेखों वर्ष 2015 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास के माह 4/15 के दौरान प्राप्त आय से सम्बन्धित रसीदों की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि रसीदों द्वारा प्राप्त होने वाली दान राशि को समय पर मन्दिर ट्रस्ट के खाते में जमा न कर कई दिनों तक अपने पास हस्तगत रखकर राशियों का अस्थाई दुरूपयोग किया गया प्रतीत होता है जिसका विवरण निम्नानुसार है जबकि मन्दिर न्यास में प्राप्त राशियों को उसी दिन या उससे अगले कार्यदिवस के मन्दिर न्यास के खातों में जमा किया जाना अपेक्षित था। अतः न्यास इस बारे अपनी स्थिति स्पष्ट करें और भविष्य में प्राप्त होने वाली आय को उसी दिन या उससे अगले कार्यदिवस को न्यास खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि प्राप्ति का अस्थाई दुरूपयोग न हो सके।

रसीद सं0	प्राप्ति की दिनांक	राशि	राशि जमा करने की दिनांक
3601 से 3603	27.2.15	303	6.4.15
3604	1.3.15	101	6.4.15
3605	28.2.15	101	6.4.15
3606 से 3607	2.3.15	202	6.4.15
3608	4.3.15	101	6.4.15
3609 से 3610	7.3.15	202	6.4.15
3611 से 3612	13.3.15	202	6.4.15
3613	15.3.15	101	6.4.15
3614	16.3.15	101	6.4.15
3615 से 3617	18.3.15	303	6.4.15
3618	20.3.15	101	6.4.15
3619 से 3622	21.3.15	404	6.4.15
3623 से 3625	22.3.15	303	6.4.15
3626 से 3628	23.3.15	303	6.4.15

3629 से 3630	24.3.15	202	6.4.15
3631 से 3634	25.3.15	404	6.4.15
3635 से 3642	26.3.15	808	6.4.15
3643 से 3651	27.3.15	909	6.4.15
3652 से 3658	28.3.15	707	6.4.15
3659 से 3660	29.3.15	202	6.4.15
3661 से 3662	30.3.15	202	6.4.15
3663 से 3665	31.3.15	303	6.4.15
3666 से 3670	2.4.15	505	6.4.15
15541	11.3.15	101	6.4.15
15542	12.3.15	101	6.4.15
15543	31.3.15	101	6.4.15
15544	31.3.15	101	6.4.15
15545	2.4.15	101	6.4.15
15546	3.4.15	101	6.4.15
15547	14.4.15	500	1.6.15
15548	16.4.15	3000	1.6.15
15549	19.4.15	1000	1.6.15
15550	2.5.15	5100	1.6.15
15551	26.5.15	101	1.6.15
15674	2.3.15	2100	6.4.15
15675	9.3.15	501	6.4.15
15676	28.3.15	1100	6.4.15
15677	28.3.15	1100	6.4.15
रसीद में राशि को शब्दों में नहीं लिखा 15678	28.3.15	500	6.4.15
15679	28.3.15	2100	6.4.15
15680	2.4.15	2100	6.4.15
16101	8.3.15	101	6.4.15
16102	8.3.15	101	6.4.15
16103	9.3.15	101	6.4.15
16104	10.3.15	101	6.4.15
16105	10.3.15	101	6.4.15
16106	10.3.15	505	6.4.15
16107	10.3.15	1100	6.4.15
16108	10.3.15	101	6.4.15
16109	10.3.15	101	6.4.15
16110	16.3.15	101	6.4.15
16111	22.3.15	101	6.4.15
16112	27.3.15	107	6.4.15
16113	28.3.15	101	6.4.15
16114	28.3.15	101	6.4.15
16115	30.3.15	101	6.4.15
16116	31.3.15	101	6.4.15

16117	3.4.15	2100	6.4.15
1618	3.4.15	101	6.4.15
16123	6.4.15	51	22.4.15
16124	7.4.15	2100	22.4.15
16125	14.4.15	101	22.4.15
16126	14.4.15	101	22.4.15
10116127	14.4.15	101	22.4.15
161110028	18.4.15	1100	22.4.15
16129	(दिनांक नहीं दर्शाई गई है)	5000	22.4.15
16130	23.4.15	101	28.5.15
16131	4.5.15	101	28.5.15
16132	8.5.15	101	28.5.15
16133	10.5.15	501	28.5.15
16134	10.5.15	101	28.5.15
16135	14.5.15	101	28.5.15
16136	17.5.15	500	28.5.15
16137	18.5.15	2100	28.5.15
16138	19.5.15	2100	28.5.15
16043	24.3.15	2160	6.4.15
16044	24.3.15	1000	6.4.15
16045	24.3.15	2100	6.4.15
16046	25.3.15	1060	6.4.15
16047	26.3.15	5000	6.4.15
16048	26.3.15	101	6.4.15
16049	26.3.15	2160	6.4.15
16050	27.3.15	2100	6.4.15
16051	27.3.15	2160	6.4.15
16052	27.3.15	1500	6.4.15
16053	27.3.15	501	6.4.15
16054	27.3.15	251	6.4.15
16055	28.3.15	2100	6.4.15
16056	29.3.15	500	6.4.15
16057	29.3.15	5100	6.4.15
16058	30.3.15	2100	6.4.15
16059	30.3.15	2160	6.4.15
16060	31.3.15	5000	6.4.15
16061	31.3.15	720	6.4.15
16062	31.3.15	750	6.4.15
16063	31.3.15	5100	6.4.15
16071	6.4.15	5000	22.4.15
16072	7.4.15	1440	22.4.15
16073	7.4.15	501	22.4.15
16074	7.4.15	151	22.4.15
16075	8.4.15	500	22.4.15

16076	11.4.15	1440	22.4.15
16077	12.4.15	5100	22.4.15
16078	12.4.15	201	22.4.15
16079	12.4.15	5140	22.4.15
16080	12.4.15	1000	22.4.15
16081	13.4.15	500	22.4.15
16083	14.4.15	2090	22.4.15
16084	14.4.15	1660	22.4.15
16085	15.4.15	1100	22.4.15
16086	15.4.15	500	22.4.15
16087	17.4.15	2100	22.4.15
16088	18.4.15	500	22.4.15
16089	18.4.15	501	22.4.15
16090	18.4.15	200	22.4.15
16091	18.4.15	2145	22.4.15
16092	18.4.15	900	22.4.15
16093	19.4.15	6000	22.4.15

(2) ₹600/– को बैंक में कम जमा करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ट्रस्ट की रोकड़ बही के पृष्ट 277 दिनांक 31.10.15 को आय के रूप में ₹20201/– प्राप्त हुये थे परन्तु सम्बन्धित कर्मचारी गलती से ₹20201/–के स्थान पर ₹19601/– बैंक में जमा किये इस प्रकार ₹600/– बैंक के खाते में कम जमा किये जोकि अंकेक्षण के दौरान दिनांक 31.8.16 को विजया बैंक, दी माल शिमला में जमा कर दिये। भविष्य में इस प्रकार की चूक पर अंकुश जाना सुनिश्चित किया जाए।

(3) रसीद संख्या 16061 दिनांक 31.3.15 के द्वारा श्री बिशन सिंह चन्देल से 4 गैस सिलेन्डर के चार्जिज केवल ₹750/– ही लिये जबकि अन्य रसीदों के अवलोकन पर पाया गया कि गैस सिलेन्डर ₹750 प्रति सिलेन्डर प्राप्त किये गये। इस प्रकार 4 सिलेन्डर के चार्जिज ₹3000/– बनते हैं। अतः श्री बिशन सिंह चन्देल से ₹2250/– कम प्राप्त किये गये जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये और ₹2250/– की वसूली कर न्यास निधि में जमा करवाई जाये और कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(4) रसीद संख्या 16046 दिनांक 25.3.15 के द्वारा श्री धर्म पाल शारदा शिमला से 3 गैस सिलेन्डर के चार्जिज ₹1060/– प्राप्त किये जबकि ₹750 प्रति सिलेन्डर कुल ₹2250 की प्राप्ति अपेक्षित थी। अतः कम प्राप्त ₹1190/– की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

TT.Sankant Mochan

8 कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन व भत्तों के बारे मेंः–

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान मन्दिर न्यास के कर्मचारियों को देय वेतन व भत्तों इत्यादि का न्यास की आय पर आनुपातिक विवरण निम्न प्रकार से पाया गयाः–

वर्ष	आय	न्यास के कर्मचारियों के वेतन पर व्यय	प्रतिशतता
2015	5959246.25	1336248	22.42%

उक्त विवरणानुसार मन्दिर न्यास की आय का लगभग 22.42% भाग मन्दिर न्यास के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर व्यय किया जा रहा है। अतः मन्दिर न्यास के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर किए गए व्यय पर आन्तरिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता है।

9 मन्दिर न्यास द्वारा बजट तैयार करके स्वीकृत न करवाने बारेः–

The Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and charitable endowment Act, 1984 के chapter VI Rule 22 के अनुसार The Trustee of a Hindu Public Regious institution and charitable endowments shall, before the end of December, in each year, shall submit to such authority and in such form and in such manner as as may be prescinbed by the Government, a budget showing the probable receipts any disbursements of the Hindu Public Religious Institution and charitable endowment during the following financial year."

श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास द्वारा उक्त नियम के अन्तर्गत न्यास का वर्ष 2015 का बजट तैयार करके सक्षम अधिकारी से स्वीकृत नहीं करवाया, जोकि नियमों की सरासर अवहेलना है। इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में बार–2 आपत्तियां उठाई जाती रही है। अतः मन्दिर न्यास द्वारा बजट को तैयार न करने और स्वीकृत न करवाये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में बजट को निर्धारित प्रपत्र पर तैयार करके सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करवाया जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 व्ययः–

(1) अंकेक्षण के चयनित माह 7/15 के व्यय वाउचरों की जाँच पर पाया गया कि कुछ एक वाउचरों द्वारा किये व्यय के साथ पूर्ण विवरण संलग्न नहीं थे जिनका ब्यौरा व पाई गई कमियां निम्न विवरणानुसार है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये और व्यय वाउचरों में पाई कमियों को सही कर पालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वा0सं0/माह	फर्म/व्यक्ति का नाम तथा बिल सं0/दिनांक	मद का विवरण	राशि	टिप्पणी
241/7/15	M/s Bhagra steel sales (p) ltd.	Pad Revsa 15.130 Kgs	560	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ 36 में दिये

	Jasudevi Shimla Invoice No. 2015-16/01525 dt. 27.6.15			विवरण के अनुसार यह रस्सा श्री गणेश मन्दिर के निर्माण कार्य के दौरान दिया था परन्तु कार्य पूर्ण होने पर इस रस्से को वापिस स्टॉक में नहीं दर्शाया।
242/7/15	H.P. Autocade, Shimla and freight paid to Vehicle No. HP 07-C-1554	For Collection of performa +Invoice of H.P.S.C.S.C. Ltd.	300 300 600	न्यास ने यह भुगतान वाहन संख्या एच0पी0–07–सी–1789 दिनांक 17.6.15 को ₹300 का पैट्रोल डलवाने हेतु किया जोकि भटटाकुफर से सीमेन्ट की खरीद की जानकारी के लिये एचपी0–एस0सी0एस0 में गये और पुनः से फिर Performa प्राप्त करने के लिये ₹300 का खर्च किया गया था जो अनियमित था जबकि प्रोफार्मा ईन्वाईस प्राप्त करने के लिये सरकारी बस का उपयोग किया जा सकता था। अतः इस भुगतान को न्यास निधि से उचित व्यय नहीं माना जा सका जिसकी भरपाई कर आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये।
242 ऑफ 7/15	Mr. Anil Kumar Bill No./C.M.No. 1896 dt. 28.6.15	3trip of V.Tunnel to Sh. Sankat Mochen Mandir for Carriage of Bamboo		मन्दिर न्यास द्वारा बांस की ढुलाई के ₹1200/– का भुगतान किया परन्तु बिल में वासों की संख्या/मात्रा इत्यादि दर्शित नहीं थी जिसका पूर्ण विवरण अभिलेख में पूर्ण तथ्यों सहित दें और आगामी अंकेक्षण के दौरान पुष्टि करवाई जाए।
243 ऑफ 7/2015	New light & Sound Shimla Bill no. 2010 dt. 23.6.15	2 नं0 बुके		मन्दिर न्यास द्वारा ₹800/– का भुगतान दो नं0 बुकों की खरीद के लिए किया और माननीय मुख्यमन्त्री हि0प्र0 के जन्मदिन पर उन्हें भेंट दर्शाया गया यह व्यय न्यास निधि पर उचित प्रभार नहीं है जिसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेकर इस व्यय की नियमित करवाया जाये।

(2) ₹500 का अधिक भुगतानः–

मन्दिर न्यास के चयनित माह 7/15 के वयय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया मन्दिर न्यास ने निम्न एक वाऊचरों द्वारा भुगतान किया गया जिसमें से ₹500/– का अधिक भुगतान निम्नविवरणानुसार किया गया प्रतीत होता हैः–

वा0सं0द0	फर्म/व्यक्ति का नाम	मद का ब्यौरा	जितना भुगतान बनता था	जितना भुगतान किया	अधिक भुगतान
245 ऑफ 7/15	M/s srishti water supplier Sr.No. 163 of 1.7.15	Supply of water	15950	16150	200
256 ऑफ 7/15	M/s Parvesh Thakur Bill No. Nil date 13.7.15	Supply of Building Material	51600	51900	300

उपरोक्त वाउचर द्वारा 350 cft बजरी ₹42 प्रति cft कुल ₹14700 भुगतान योग्य था जबकि यह ₹15000 का भुगतान दर्शाकर ₹300 का अधिक भुगतान किया जाये।

अतः उपरोक्त दर्शित कुल ₹500 के अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से की जाए।

11 निर्माण कार्यः–

वउचर संख्या 246 माह 7/2015 ₹482980/–

Name of Work:- (1) C/O Main Entrance gate at main road at Sankat Mochan Mandir/Temple, Taradevi Shimla

(2) C/O Entrance gate at near rain shelter on main road at Sankatmochan Temple, Taradevi Shimla

Name of Contractor:- Sh. Kuldeep Verma

Work sheet No. 271 and 275

उक्त निर्माण कायर्इ मन्दिर न्यास द्वारा मन्दिर के आने वाले रास्तों के आरम्भ में करवाया। इस निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच पड़ताल के दौरान पाया गया कि इस निर्माण कार्य के लिये सहायक अभियन्ता (विकास) जिला मुख्यालय, जिला कम्पलैक्स शिमला द्वारा अनुमान पत्र तैयार किये गये जिनका विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	अनुमानित राशि
1	C/O main entrance gate at main road at Sh. Sankat mochan Mandir Taradevi, Shimla	581000
2	C/o entrance gate near Rain Shelter on main road at Sankat Mochean Tempple Taradevi Shimla	320000

उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु तीन–2 निविदाऐं प्राप्त हुई व दोनो कार्य न्यूनतम दर वाले संविदाकार श्री कुलदीप वर्मा को समझौता कम दर पर क्रमशः ₹524202 व ₹283393 का कार्य आबंटन किया गया।

11.1 उक्त निर्माण कार्यों के लिये संविदाकारों द्वारा प्रार्थना पत्र से संविदा फार्म की माँग की गई परन्तु संविदा फार्म देते समय न्यास द्वारा कोई भी संविदा फार्म शुल्क प्राप्त नहीं की जबकि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग और अन्य विभागों द्वारा निम्न दरों से संविदा फार्म जारी किये जाते हैं:–

संविदा राशि तक	संविदा फर्म राशि
₹600000	500
600001 से 2500000	1000
2500000 से 6000000	1500
6000000 से 10000000	2500
Above 10000000	3500

अतः संविदाकारों को टैन्डर देते समय संविदा फार्म की राशि की वसूली न करने के फलस्वरूप मन्दिर न्यास को ₹3000/– की हानि हुई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये और भविष्य में निर्माण कार्य हेतु संविदा फार्म निर्धरित दरों पर जारी कर राशि प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाए।

11.2 निर्माण कार्यों में बिना सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये ₹2.19 लाख की अतिरिक्त मदों का निष्पादनः–

जाँच के दौरान पाया गया कि उक्त निर्माण कार्यों में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये ₹218937.30 की अतिरिक्त मदों का निष्पादन निर्माण कार्यों पर करवाया जोकि अनियमित था विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(1) Name of work:- C/O main entrance Gate at Main Road at Sankat Mochan Temple Taradevi Shimla

निष्पादित अतिरिक्त मदों का संक्षिप्त ब्यौरा

1	P/F 2mm @. 15.7 Kg/m^2 M.S Sheet for ceiling including cutting bending etc.	59.51m^2	1850	110093.50
2	Proaiding S.R. MAS with the stone of approved quality in cm (1:6)	0.793m3	4500	3568.50
3	P/F ornamental Brass Gumad complte in all respect	4 No.	3800	15200
			total	**128884.50**

2 Name of work:

C/o entrance gate near rain shelter on main rood at Sh. Sankat mochan Temple, Shimla

निष्पादित अतिरिक्त मदों का विवरण

1	P/F 2 MMC 15.7 Kg/m2 M.S. Sheet for ceiling including cutting bending etc.	39.2m2	1850	72520
2	Providing SR MAS with the stone of approved quality in c.m. (1:6)	0.5184 m3	4500	2332
3	P/F omemcntal Brass Gumad Complete in all respect .	4 No.	3800	15200
			Total	**90052.80**

अतः सक्षम अधिकारी की पूर्ण स्वीकृति/अनुमति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य में ₹218937.30 की अतिरिक्त मदों का निष्पादन करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये और अतिरिक्त मदो पर किये गये व्यय से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर तथा इस की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए।

11.3 अग्रिम धन (Earnest Money) की ₹786 की कम वसूली करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त निर्माण कार्यों के लिये अग्रिम धन क्रमशः ₹8626 तथा 5660 निर्धारित की। इस प्रकार संविदाकार से ₹14286/– प्राप्त किये जाने अपेक्षित थे जबकि अभिलेखों में श्री कुलदीप वर्मा संविदाकार द्वारा ₹13500/– की सावधि जमा राशि न्यास के नाम से जमा की इस प्रकार अग्रिम धन के रूप मतें ₹786 कम प्राप्त किये जिसके बारे स्थिति स्पष्ट की जाये और अंकेक्षण को कृत कार्यवाही से अवगत करवाया जाये।

11.4 बिना सक्षम अधिकारी से मूल्यांकन करवाये संविदाकार को भुगतान करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त दोनों निर्माण कार्य मन्दिर न्यास द्वारा सहायक अभियन्ता (विकास) जिला मुख्यालय, जिला कम्पलैक्स शिमला-171001 के द्वारा करवाये गये और जिसका भुगतान मन्दिर न्यास द्वारा सहायक अभियन्ता द्वारा तैयार किये गये बिल के आधार पर किया गया जबकि मन्दिर न्यास में अधिशासी अभियन्ता मण्डल धामी, जिला शिमला भी कार्यकारिणी में है। अतः निर्माण कार्य में निष्पादित मदों का मूल्यांकन (Test Check) किसी तकनीकी अधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित था। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में निर्माण कार्यों के भुगतान से पूर्व निष्पादित कार्य मात्रा का मूल्यांकन कर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11.5 संविदाकारों के बिलों से नियमानुसार वैधानिक कटौती किये बिना ₹2.09 लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश सिविल वर्कस के अनुसार जिस भी निर्माण कार्य का निष्पादन/आबंटन ठेकेदार को किया जाता है तो उसके बिल से प्रतिभूति राशि आयकर बिक्री कर, श्रम उपकर की कटौती की जानी अपेक्षित थी जबकि मन्दिर न्यास द्वारा उक्त निर्माण कार्यों हेतु संविदाकार को भुगतान प्रतिभूति राशि, बिक्रीकर, सेवाकर श्रम उपकर इत्यादि की कटौती किये बिना किया गया। फलस्वरूप सरकारी कोष में जमा की जानी अपेक्षित राशियाँ भी कोष में जमा न कर सराकरी कोष को भी हानि हुई जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(i) C/O Main Entrance gate at main Road a Sankat Mochan Temle, Shimla

कुल निर्माण पर व्यय=₹522099

प्रतिभूति		कटौती योग्य राशि	वास्तविक कटौती	कटौती नहीं की गई
10**%** up to 500000	50000	43031	–	43031
7.5**%** up to 22090	1657			
	51657			
Less Earnest Money	8626			
2% Inxome Tax		10442	10442	Nil
1% Sales Tax		5221	–	5221
1% cess Tax		5221	–	5221
12.5% Service charges		65262	–	65262
		129177	10442	118735

(ii) C/o entrance gate near rain sheltwer on main road at Sankat Mochan Temple, Shimla

कुल राशि ₹385820.71

कटौतियाँ प्रतिभूति	कटौती योग्य राशि	वास्तविक कटौती	
Upto 50000010 %	38582		
	Less E.M.4874		
	33708	–	33708
2% Inxome Tax	7716	7578	138
1% Sales Tax	3858	–	3858
1% cess Tax	3858	–	3858
12.5% Service charges	48228	–	48228
	97368	7578	89790

अतः संविदाकारों के बिलों से बिना कटौती ₹208525/– किए अनियमित भुगतान करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये और इन कटौतियों की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त

सम्बन्धित/सरकारी कोष में जमा की जानी सुनिश्चित की जाये तथा कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(iii) तय समय अवधि पर निर्माण कार्य को पूरा न करने पर जुर्माना राशि की वसूली न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निविदाओं में उक्त निर्माण कार्य के समाप्त करने हेतु एक माह का समय दिया था जिसके अनुसार कार्य अनुबन्ध के हस्ताक्षर दिनांक 21.7.14 के आधार पर ठेकेदार द्वारा उक्त दोनों कार्य 3.8.14 को शुरू कर 2.9.14 तक पूर्ण करना अपेक्षित था और अनुबन्ध की शर्त 6 में स्पष्ट लिखा गया यदि संविदाकार निर्माण कार्यों को देरी से पूर्ण करने के लिए स्पष्ट कारण नहीं देता तो "Second Party shall impose a pendity not axceeding upon of delay in completion of said work which will be deducted from the final payment of the first party"

दोनों निर्माण कार्य माह जून 2015 में पूर्ण किये गये देरी से पूर्ण किये गये कार्य बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

12 मन्दिर न्यास द्वारा प्राईवेट फर्म से पानी की आपूर्ति पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति भण्डारा करने वाले श्रद्धालुओं से न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास परिसर में और भण्डारे के लिये पानी की अधिकतर आपूर्ति टैंकर द्वारा प्राईवेट फर्म से की गई है। इस आपूर्ति से भण्डारे हेतु तथा मन्दिर कर्मचारियों के आवासों को भी पानी की आपूर्ति की गई है जिसका व्यय मन्दिर न्यास अपने स्त्तर पर कर रहा है। मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई सूचना के अनुसार वर्ष 2015 में पानी की आपूर्ति टैंकर से करने पर फर्म को ₹84050/– का भुगतान किया परन्तु इसकी प्रतिपूर्ति नहीं की गई। अतः सुझाव दिया जाता है कि इस व्यय की प्रतिपूर्ति भण्डारे देने वाले श्रद्धालुओं से एक निर्धारित दर पर करने तथा मन्दिर कर्मचारियों जिनको आवास आबंटित है, से करने बारे कार्यवाही की जाए जिससे मन्दिर न्यास की आय में वृद्धि हो सके। कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13 मन्दिर न्यास द्वारा कर्मचारियों को आबंटित आवासों के बिजली के बिलों ₹0.86 लाख का भुगतान मन्दिर न्यास निधि से करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा कर्मचारियों को दिए आवासों में लगे बिजली के मीटरों के बिलों का भुगतान कर्मचारियों द्वारा न करके यह भुगतान मन्दिर न्यास निधि से किया जा रहा है, जोकि अनियमित है। इस सन्दर्भ में मन्दिर न्यास द्वारा **परिशिष्ट "ङ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार मन्दिर न्यास के कर्मचारियों के आवासों पर लगे मीटरों से सम्बन्धित बिजली के बिलों का अवधि 1.1.15 से 31.12.15 के दौरान ₹86409/– का भुगतान किया गया, जिसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी अपेक्षित है। अतः मन्दिर न्यास

सम्बन्धित कर्मचारियों से इस बिजली के उपर किये व्यय ₹86409 की वसूली करने बारे उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इस बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी बार–2 आपत्ति उठाई जाती रही है। अतः कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14 मन्दिर न्यास कर्मचारियों को आबंटित आवासों की लाईसैंस फीस की वसूली न करने बारेः–

मन्दिर न्यास द्वारा **परिशिष्ट "च"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार न्यास द्वारा अपने कर्मचारियों को आवास की सुविधा प्रदान की गई है। अंकेक्षण में पाया गया कि जिन कर्मचारियों को न्यास द्वारा परिसर में आवास दिये गये हैं, उनके वेतन से अभी तक सरकार द्वारा निर्धारित दरो पर लाईसैंस फीस की कटौती नहीं की जा रही है, जबकि इस बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरों में बार–2 आपत्ति उठाई जाती रही है। अतः कर्मचारियों से लाईसैन्स फीस की वसूली न करना, नियमों की सरासर अवहेलना है। इस सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी0ए0डी0–7 (जी)–1–12/81 दिनांक 26.10.99 में भी यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को बिना किराये का आवास (Rent free acmodation) न दी जाए। इस प्रकार मन्दिर न्यास द्वारा कर्मचारियों को बिना लाईसैन्स फीस की वसूली के आवास का आबंटन एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस सन्दर्भ में पुनः सुझाव दिया जाता है कि जिन कर्मचारियों को मन्दिर न्यास द्वारा आवास आबंटित किए गए है। उनके वेतन से प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित लाईसैन्स फीस की शीघ्र वसूली की जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15 स्टॉक एवं स्टोर से कार्यों को जारी सामग्री बारेः–

श्री संकट मोचन न्यास के अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर की जाँच करने पर पाया कि न्यास द्वारा मन्दिर परिसर में होने वाले मुरम्मत एवं निर्माण कार्यों के लिए जो सामग्री खरीद की जाती है उसकी प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर पर कर सीधे मुरम्मत एवं निर्माण कार्य को जारी दर्शाई गई परन्तु स्टॉक रजिस्टर में यह नहीं दर्शाया गया कि सामग्री किस को जारी की गई और जितनी सामग्री जारी की वे सारी सामग्री उस कार्य में उपयोग हो गई अथवा नहीं, जिसके अभाव के कारण सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः सुझाव दिया जाता है कि जब–2 मुरम्मत एवं निर्माण कार्यों को सामग्री जारी की गई उसकी उपयोग सम्बन्धित प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से सत्यापित कर अभिलेख तैयार किया जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

16 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई।

17 **निष्कर्षः—** अभिलेखों में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या :—फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)261 / 08—खण्ड—2,—1304—1307 दिनांकः02.03.2017, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है :—

पंजीकृत :— **1.** मन्दिर अधिकारी श्री संकट मोचन न्यास तारा देवी को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजें।

2. अतिरिक्त मुख्य सचिव,(भाषा एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला—2

3. उपायुक्त शिमला एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास श्री संकट मोचन, जिला शिमला (हि0प्र0)

4. निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.

हस्ता / —
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट "क" पैरा 1 (घ) के सन्दर्भ में

(क) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 17.8.04 से 31.12.09

1	पैरा–5	निर्णीत	(चल एवं अचल रजिस्टर में जाँच ली)
2	पैरा–9 (i)	अनिर्णीत	
3	पैरा–9 (ii) (ग)	अनिर्णीत	
4	पैरा–12 (1)	अनिर्णीत	
5	पैरा–12 (2)	अनिर्णीत	
6	पैरा–13	अनिर्णीत	
7	पैरा–14	अनिर्णीत	
8	पैरा–15 (1) (क)	अनिर्णीत	
9	पैरा–15 (ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा–15 (2)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर के आधार पर)
11	पैरा–16	अनिर्णीत	
12	पैरा–17 (क)	अनिर्णीत	
13	पैरा–17 (ख)	अनिर्णीत	
14	पैरा–18 (1) (क)	अनिर्णीत	
15	पैरा–18 (1) (ख)	अनिर्णीत	
16	पैरा–18 (2) (क)	अनिर्णीत	
17	पैरा–18 (2) (ख)	अनिर्णीत	
18	पैरा–18 (2) (ग)	अनिर्णीत	
19	पैरा–18 (3) (क)	अनिर्णीत	
20	पैरा–18 (3) (ख)	अनिर्णीत	
21	पैरा–18 (3) (ग)	अनिर्णीत	
22	पैरा–19	अनिर्णीत	
23	पैरा–35	अनिर्णीत	
24	पैरा–36	अनिर्णीत	
25	पैरा–38 (घ)	अनिर्णीत	

(ख)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.10 से 31.12.10

1	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत

3	पैरा–12	अनिर्णीत	
4	पैरा–13	अनिर्णीत	
5	पैरा–15	अनिर्णीत	

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.11 से 31.12.12

1	पैरा–6 (iii)	अनिर्णीत	
2	पैरा–7	अनिर्णीत	
3	पैरा–10	अनिर्णीत	
4	पैरा–11	अनिर्णीत	
5	पैरा–12	अनिर्णीत	
6	पैरा–13	अनिर्णीत	
7	पैरा–14	अनिर्णीत	
8	पैरा–15	अनिर्णीत	

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.13 से 31.12.14

1	पैरा–1 (घ)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
2	पैरा–3	निर्णीत	
3	पैरा–5 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा–5 में वर्णित)
4	पैरा–5 (ख)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर के आधार पर)
5	पैरा–6 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति पैरा–6 में वर्णित अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/15 से 12/15)
6	पैरा–6 (ख)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन पुनः प्रारूपित)
7	पैरा–6 (ग)	निर्णीत	
8	पैरा–7	अनिर्णीत	
9	पैरा–8 (क) (ख) (ग)	निर्णीत	
10	पैरा–9	अनिर्णीत	
11	पैरा–10 (क)(ख)(ग)	अनिर्णीत	
12	पैरा–11 (क)(ख)(ग)	अनिर्णीत	
13	पैरा–12	अनिर्णीत	
14	पैरा–13 (क)	निर्णीत	(सचिव एवं कोषाध्यक्ष मन्दिर न्यास द्वारा दिये प्रमाण पत्र के आधार पर)
15	पैरा–13 (ख)(ग)(घ)(ङ)(च)	अनिर्णीत	
16	पैरा–14	अनिर्णीत	

17	पैरा–15	निर्णीत	(रोकड़ बही में रसीद सं0 17117 दि0 1.6.16 द्वारा ₹2213 की वसूली की गई)
18	पैरा–16	अनिर्णीत	
19	पैरा–17	अनिर्णीत	
20	पैरा–18	अनिर्णीत	
21	पैरा–19	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का विवरण

दिनांक 1.1.15 को प्रारम्भिक शेष	59
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	12
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैर	12
दिनांक 31.12.15 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	59